रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/96

REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
No.
Date
GOVT. OF INDIA

सं. 642] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 7, 1996/कार्तिक 16, 1918
No. 642] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 7, 1996/KARTIKA 16, 1918

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1996

का. आ. 773 (अ).—केन्द्र सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन विजय व्यापार चेंबर लि., मुजफ्फर नगर द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम, की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त कम्पनी को गुड़ में अग्रिम संविदाओं के बारे में 1 जनवरी, 1997 से 31 मार्च, 1998 तक की अवधि के लिए मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अध्याधीन है कि उक्त चेंबर ऐसे निदेशों का पालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाएं ।

[मिसिल सं. 12/(1)/आई. टी./93]

एस. सी. ब्रह्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 1996

S. O. 773 (E).—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition, made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the Vijai Beopar Chamber Ltd., Muzaffarnagar and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in public interest so to do, hereby grants in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Company for a further period from 1st January, 1997 to 31st March, 1998 in respect of Forward Contracts in gur.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Chamber shall comply with such directions as may, from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[File No. 12/(1)/ IT/ 93]

S. C. BRAHMA, Jt. Secy.

2751 GI/96

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996